

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 379]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 14 सितम्बर 2016—भाद्र 23, शक 1938

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016

क्र. एफ ए 3-43-2016-1-पांच (40).—मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 4-ए की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. ए-3-195-05-1-पांच (14), दिनांक 1 अप्रैल 2007 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 2 के सामने, मद क्रमांक (9) में कॉलम (4) में, शब्द तथा अंक "27 प्रतिशत" के स्थान पर, शब्द तथा अंक "30 प्रतिशत" स्थापित किए जाएं.

2. यह अधिसूचना दिनांक 16 सितम्बर 2016 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016

क्र. एफ ए 3-43-2016-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-43-2016-1-पांच (40), दिनांक 14 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 14th September 2016

No. F. A 3-43-2016-1-V (40).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4-A of the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhinyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government, hereby, makes the following amendments in this department's Notification No. F-A-3-195-05-1-V (14), dated 1st April 2007, namely:—

AMENDMENT

In the said Notification, in the Schedule, against serial number 2, in item number (9), in column (4), for the figure and word "27 Percent", the figure and word "30 Percent" shall be substituted.

2. This amendments shall come into force from 16th September 2016.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. D. RICHHARIA, Dy. Secy.